is available in the new oil-fields. I am interested in knowing how the gas is going to be utilised.

MR. SPEAKER : He has said that the question of how it will be utilised will be examined.

SHRI P. GOPALAN : Recently, the chairman of the FACT has stated that the FACT engineering and design organisation is in a position to undertake the complete designing, engineering and manufacture and commission of fertiliser plants not only in India but also abroad. Some time back it is understood that the Fertiliser Corporation of India had submitted a report to the Government of India to the effect that the entire fertiliser plant could be manufactured indigenously. In view of this, may I know why Government are going in for foreign collaboration when there is enough capacity indigenously to produce the fertiliser plants ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : If there is enough capacity both with regard to equipment and with regard to man-power to go through the entire programme of fertiliser production, obviously there is no need for any foreign collaboration. We are fully utilising whatever man-power is there in the designs and development department.

किसानों को ऋण

\+

*157. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री बंश नारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य बैंकों ने पिछले दो वर्षों में किसानों को उर्वकों और ट्रैक्टरों के लिये कितना ऋण दिया और उस पर किस दर से व्याज वसूल किया; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि किसानों को शीघ्र और उचित व्याज की दरों पर अधिक ऋण मिले ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) रिजर्व बैंक किसानों को सीधे ऋण नही देता । रासायनिक खाद या ट्रैक्टरों की खरीद के लिये बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । बैंकों द्वारा लिये जाने वाले व्याज की दरें ऋण की अवधि, उपलब्ध प्रतिभूतियों तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के अनुसार अलग-अलग होती हैं ।

(ख) रिजर्व बैंक, सहकारी ऋण-संस्थाओं को रियायती दरों पर काफी मात्रा में धन देता है और ये संस्थाएं कृषि-सम्बन्धी ऋणों का वितरण करने का मुख्य माध्यम हैं जिन राज्यों में सहकारी संस्थाएं कम हैं, उनमें कृषि ऋण निगम स्थापित करने का भी विचार है । वाणिज्यिक बैंकों ने भी कृषि-सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था करना शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय ऋण परिषद ने भी सिफारिश की है कि वाणिज्यिक बैंकों को खेती के काम के लिए और अधिक ऋण सुविधाएं देनी चाहिएं ।

श्री बृज भूषण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फार्मस अर्थात काश्तकारों के लिए बैंक्स और यह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अच्छी मात्रा में उन्हें लोंन दें इस के बारे में उन की तरफ से कोई सुझाव या चार ऑबलिगेटरी उन बैंक्स के लिए जारी किये गये हैं या नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने कोआपरेटिव बैंक्स का जिक्र किया तो जैसा मैंने कहा वह तो कृषि में ऋण देने के लिए मुख्य माध्यम है और इस सिलसिले में कई वर्षों से सुविधाएं दी गई हैं । रिजर्व बैंक द्वारा एक पूरा ढांचा खड़ा किया गया है । सन् 1951-52 में कोआपरेटिव क्रेडिट जोकि किसान लेते थे वह जो कुल किसान

क्रेडिट लेते थे उस का वह केवल 3.1 प्रतिशत होता था जोकि 1961-62 में बढ़ कर टोटल बारोइंग्स का 25 प्रतिशत हो गया है। इस से आप देखेंगे कि हाल में कोआपरेटिव क्रेडिट कितना बढ़ा है। जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का प्रश्न है, जो नैशनल क्रेडिट कौंसिल बनी है उसने उन से कहा है कि वह कृषि के लिये अपने ऋण बढ़ायें और उन के सामने यह लक्ष्य रक्खा गया है कि कृषि के लिये वह 15 परसेंट आफ दि नेट ऐक्रिशन आफ डिपाजिट रिस्पोंसेंज ड्यूरिंग इअर जुलाई 1968 टु 1969 रक्खा जाए।

श्री बृज भूषण लाल : अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि बैंक्स को यह सुझाव दिया गया है कि डिपाजिट का 15 परसेंट लोन फार्मस को दें। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर अमल होने भी जा रहा है या नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बैंक्स ने कोई भी लोन फार्मस के लिये नहीं दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शायद माननीय सदस्य ने गलत समझा है। मैं ने कहा कि जुलाई 1968 और जून 1969 के बीच में जो डिपाजिट बढ़ेगा उन का 15 प्रतिशत कृषि के लिये जायेगा। बैंकों ने यह मान लिया है। इस में जो सीधे किसान को जाता है वह और जो इनपुट्स वितरण में जाते हैं वह भी हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में जो सहकारी बैंक हैं अभी तक प्रायः उन्हीं का एकाधिकार रहा है। इसी कारण ऐसा मालूम होता है कि किसानों को ऋण देने में बहुत भ्रष्टाचार चलता है। हर जगह अनेक दफा इस की चर्चा होती है। ऐसी परिस्थिति में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय स्टेट बैंक के चेअरमैन श्री दहेजिया के सुझाव पर विचार करेंगे जिन्होंने अपने वक्तव्य में पिछले दिनों कहा है कि देश के 5 लाख 70 हजार गांवों में से केवल 5 हजार गांवों में ही बैंकिंग फेसिलिडीज हैं इस लिये जब तक गांवों के ग्रुप बना कर कामर्शल बैंक की ब्रान्चेज वहां नहीं खोली जायेंगी तब तक किसानों को किसी प्रकार की ऋण लेने या देने की सुविधा नहीं हो सकती ? क्या मंत्री महोदय 20–20 गांवों के ग्रुप बनायेंगे ताकि उन में बैंकिंग का प्रसार किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गांवों में बैंकिंग का प्रसार हो वह गवर्नमेंट की नीति रही है। गवर्नमेंट ने बैंकों से कहा भी है कि वह अपना प्रसार करें। स्टेट बैंक ने विशेष कदम उठाये हैं जिस में बैंकों की शाखायें देहातों में खुलें। लेकिन सहकारी समितियों द्वारा भी पिछले वर्षों में जो काम हुआ है वह नगण्य नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : भृष्टाचार भी नगण्य नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ भ्रष्टाचार कहीं हो सकता है लेकिन आंकड़े आप के सामने हैं कि कितने ऋण बढ़े हैं। आप को इस को सन्तुलन से देखना पड़ेगा।

श्री प्रेमचन्द्र वर्मा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक और प्राइवेट बैंक, इन तीनों ने कितनी-कितनी रकमें 1966-1967 और 1967-68 में फार्मस को कर्जे के रूप में दी हैं, और क्या 1968-69 के लिये सरकार ने कोई टार्गेट मुकर्रर किया है कि किसानों को इतने प्रतिशत दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उस कर्जे की बहुत सी शर्तें ऐसी हैं कि वह उन को पूरा नहीं कर पाते, जिस की वजह से उन को कर्जा नहीं मिल पाता। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी और बैंकों से कहेगी कि उन शर्तों को नर्म किया जाये ताकि सब किसान उस का फायदा उठा सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं माननीय सदस्य के सामने पेश करना चाहूंगा। 1964-65 और 1965-66

में कुल शार्ट टर्म क्रेडिट जो प्राथमिक ऋण समितियों ने किसानों को दिया वह 262 करोड़ रु० और 268.62 करोड़ रुपया था । कामर्शल बैंक्स के बारे जो पूछा गया इस के सम्बन्ध में मैंने बतलाया कि अगले साल के लिये उस में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अगर माननीय सदस्य चाहें और सवाल पूछें तो मैं उस के आंकड़ों को भी दे सकता हूं ।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : शर्तों के बारे में ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शर्तों के बारे में बतलाना चाहता हूं कि जो रिफाइनेन्स रिजर्व-बैंक करता है वह आज भी बैंक रेट से 2 प्रतिशत कम में पैसा स्टेट कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी को देता है । यही कुछ कंसेशनल शर्तें हैं ।

श्री महाराज सिंह भारती : जब किसान किसी बैंक से कर्जा लेता है तो उस को भूमि बन्धक रखनी पड़ती है, और भूमि बन्धक रखने पर जो कोर्ट फीस देनी पड़ती है वह किन्हीं-किन्हीं सूबों में बहुत ज्यादा है। व्यक्तिगत रूप में मैंने पंजाब नैशनल बैंक से कर्ज लेना चाहा ट्रैक्टर के लिये, तीन सालों के लिये । उत्तर प्रदेश के कानून के मातहत दो साल का जितना ब्याज होता है, उतनी ही कोर्ट फीस देनी पड़ेगी भूमि बन्धक रखने में । मैंने वह केस भेजा हुआ है । वित्त मंत्री के साथ मेरा पत्र-व्यावहार हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि जैसे भूमि बन्धक बैंक बना रक्खा गया है जो बिना कोर्ट फीस लिये भूमि को बन्धक रख सकता है, क्या केन्द्रीय सरकार प्रदेशों की सरकारों से कह कर ऐसी व्यवस्था करेगी कि भूमि बन्धक बैंक की तरह से बिना कोर्ट फीस दिये हुए भूमि बन्धक रखने वाला कानून बना दिया जाये क्योंकि बैंकों के जरिये कर्जा मिलना शुरू हो गया है, ताकि बैंकों से किसानों को पैसा दिया जा सके अन्यथा तीन सालों के लिये कर्जा मांगेंगे और पांच साल वाला ब्याज लिया जायेगा इस के लिये कोई भी किसान तैयार नहीं होगा । इस से ज्यादा सस्ता कर्जा तो बनिये का पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बनिये का तो सस्ता नहीं पड़ेगा ।

श्री महाराज सिंह भारती : तीन साल के लिये कर्जा मांगेंगे और पांच साल वाला ब्याज देना पड़ेगा, तब बनिये का सस्ता कैसे नहीं पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर प्रदेश में ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने हाल में यह काम अपने हाथ में लिया है जिस से ट्रैक्टर आसानी से मिल सकेंगा ।

श्री महाराज सिंह भारती : शेड्यूल्ड बैंकों के शर्तों के बारे में बतलाइये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शेड्युल्ड बैंक जो शर्तें ठीक समझते हैं पैसा देने के लिये वह लगाते हैं । अगर कोई ठोस सुझाव माननीय सदस्य देगें तो उन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री महाराज सिंह भारती : मेरा कहना यह है कि भूमि बन्धक कानून के मातहत अगर भूमि बन्धक रक्खी जायेगी तब पैसा कम देना पड़ेगा ब्याज का शेड्यूल्ड बैंक जब कर्जा देता है तब खर्च ज्यादा बैठता है ।

SHRI K. C. PANT : It is a suggestion for action.

SHRI JYOTIRMOY BASU : May I know whether the Finance Minister has made up his mind about giving grants and loans to the farmers in the flood-affected areas in North Bengal, Darjeeling, Midnapore and Burdwan, and if so, to what extent this would be outside the plan allocation for West Bengal ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : In the first place, this does not arise from this. Then, it is a matter for the State to do.

SHRI BEDABRATA BARUA : May I know whether a special machinery has been set up to review the progress in this direction from bank to bank and from month to month in connection with the loans from the scheduled banks ?

SHRI K. C. PANT : The National Credit Council meets for this purpose to review the requirements of different sectors of the economy for credit, and it has laid emphasis on the fact that increasing credit should go to the agricultural sector consistent with the requirements of other sectors also.

SHRI JYOTIRMOY BASU : On a point of order. The Finance Minister and many other Ministers want to get away by saying that it is a State subject.

MR. SPEAKER : He did not say State subject, but that it does not arise out of this question.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या सरकार की दृष्टि में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि काश्तकार जिस काम के लिये लोन लेते हैं कभी उस पर उस का उपयोग नहीं करते ह, नये मकान बनाने या शादी के दहेज आदि पर खर्च कर देते हैं । जो बड़े बड़े जमीदार हैं वह छोटे छोटे काश्तकारों के नाम पर स्वयम कर्जा ले लेते हैं । यदि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि काश्तकार जिन कार्यो के लिये लोन लेते हैं उन्हीं पर उस को खर्च करे, दूसरी फुजूल बातों पर न करें ताकि काश्तकार के उपयोग में वह आ सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे याद आता है कि कुछ महीने पहले एक कमेटी की रिपोर्ट निकली थी जिस में इस की चर्चा की गई थी कि कभी कभी काश्तकार दूसरे कामों में इस ऋण को लगाते हैं । अब उर्वरक तो आम-तौर पर आज कल क्राप लोन्स की शकल में दिया जाता है । जिस में पैसा देने के बजाय उर्वरक दिया जाता है । इस के अलावा अगर कोई ठोस सुझाव हो तो उन पर विचार किया जा सकता है ।

SHRI K. M. KOUSHIK : As the position obtains today, the farmers are getting their loans only from agricultural co-operative societies and other district co-operative societies. The rate of interest charged is 8 to 9 per cent, whereas the industrialists who take huge loans get them at the rate of two to three per cent. Because we are an agricultural country, will the Government think of reducing the disparity in the rate of interest so far as the farmers are concerned, particularly since we are in a difficult food situation.

SHRI K. C. PANT : As I said, so far as the Reserve Bank is concerned, the Reserve Bank does give credit at the concessional rates to the State Co-operative Banks. What more can the Reserve Bank do ?

श्री बलराज मधोक : क्या सरकार के नोटिस में यह आया है कि कुछ कमर्शियल बैंक्स के मैनेजर्ज ने जो रुरल एरियाज में काम करते हैं अपने हैड आफिसिस को यह रिपोर्ट भेजी है कि हम को यह तो कहा जाता है कि हम एग्रिकल्चरिस्ट्स को लोन तो दें लेकिन जो कंडिशंज लगाई गई हैं वे कंडिशंज न तो हम को सूट करती हैं और न ही एग्रिकल्चरिस्ट्स को सूट करती हैं और इन कंडिशंज को बदलने की आवश्यकता है ?

दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक लैंड मार्टगेंज करने का अधिकार हम को नहीं होगा, तब तक बिना इस प्रकार की गारंटी के हम उनको लोन कैसे दे सकते हैं ? अगर यह चीज नोटिस में लाई है तो इस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स एग्रिकल्चरिस्ट्स को लोन दे सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि कहा है समय समय पर नैशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग होती है जो इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करती है और जो कुछ दिक्कतें सामने आती हैं उनको हटाने की कोशिश की जाती है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

INDO-NEPAL SURVEY OF RIVER KAMALA

*153. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5712 on the 26th August, 1968 and state :

(a) whether the detailed scheme on the basis of the joint Indo-Nepal Survey of the